भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3659

दिनांक 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

3659. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तटीय क्षेत्रों में निर्यात के बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माल निर्यात करने से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू उत्कृष्ट वैश्विक परिपाटियों और वैश्विक स्तर पर लगने वाले समय के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या निर्यात करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में समय को कम करने की कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : देश के तटीय क्षेत्रों सहित अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार की अनेक क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें हैं। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम सागरमाला प्रोग्राम निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है :-

क. पत्तन आधुनिकीकरण एवं नवीन पत्तन विकास : मौजूदा पत्तनों की बाधाओं को दूर करना और उनकी क्षमता का विस्तार करना तथा नए ग्रीनफील्ड पत्तन का विकास करना।

ख. पत्तन से कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी : भीतरी प्रदेश तक पत्तन की कनेक्टिविटी में बढ़ोत्तरी करना, घरेलू जलमार्ग (अंतरदेशीय जल यातायात और तटीय जहाजरानी) सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से कार्गो आवाजाही की लागत और समय को इष्टतम बनाना।

ग. पत्तन संबद्ध औद्योगिकीकरण : एक्जिम और घरेलू कार्गो के समय लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए पत्तन के समीप औद्योगिक समूहों और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

घ. तटीय समुदाय विकास : कौशल विकास और आजीविका सृजन गतिविधियों, मात्स्यिकी विकास, तटीय पर्यटन इत्यादि के माध्यम से तटीय समुदायों के संधारणीय विकास को बढ़ावा देना।

प्रमुख पत्तनों का अवसंरचनात्मक विकास और क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें नई बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों तथा टर्मिनलों का यंत्रीकरण, बड़े जहाजों की आवाजाही के लिए ड्राफ्टों को गहन करने हेतु पूंजी निष्कर्षण करना, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी का विकास इत्यादि शामिल है। इसके

परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2020 तक प्रमुख पत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1534.91 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) तक बढ़ गई है। यह एक्जिम के वर्तमान स्तर और तटीय कार्गो तथा निकट भविष्य की बढ़ी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है।

रेल मंत्रालय ने सहभागी नीति के तहत अनेक पत्तन कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी चलाई हैं जिनका उद्देश्य पत्तन रेल कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण करना एवं निर्बाध आवाजाही को सुकर बनाना है।

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना चरण-1 के एक भाग के रूप में सीमा/तटीय क्षेत्रों में सड़कों को निर्माण कार्य शुरू किया है। भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत 2,000 किलोमीटर के सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड के लक्ष्य में से 977 किलोमीटर लंबाई का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एमएचएआई) द्वारा सौंपा गया है, इस लक्ष्य में से 849 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2,000 किलोमीटर के तटीय और पत्तन कनेक्टिविटी रोड को पूरा करने के लक्ष्य में से सौंपे गए 168 किलोमीटर लंबाई में से 14 किलोमीटर को पूरा कर लिया गया है।

(ग),(घ) और (ड.): विश्व बैंक द्वारा व्यवसाय करने की सुविधा (ईओडीबी) 2020 के अनुसार (www.doingbusinessreport.org पर उपलब्ध) वर्ष 2020 में सीमा पार व्यापार में भारत की नवीनतम श्रेणी 68 थी, जो 2019 में 80 थी और 2018 में यह 146 थी, जो एक सतत सुधार दर्शाती है।

एक्जिम व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जैसे गेट-इन-विंडो टाइम में कमी करना, पत्तन गेट पर आरएफआईडी की संस्थापना, मैनुअल फार्मों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मों का पुन:स्थापन, प्रत्यक्ष पत्तन प्रवेश (डीपीई) और प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी (डीपीडी) का कार्यान्वयन इत्यादि। सामान्य अंतरफलक के माध्यम से भारतीय पत्तनों के लिए केंद्रीकृत हब के रूप में सूचना और कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को एकीकृत करने के लिए पत्तन समुदाय सिस्टम (पीसीएस 1x) का कार्यान्वयन किया गया है।

*****